संख्या-54/2022/575/004-23-14-2022-48जनरल/2017

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक- 23 अगस्त, 2022**

विषय:-अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 चालू कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक- 1104/CE-HQ1/JYNN/PRJ/2022-23, दिनांक 18.08.2022, 1105/CE-HQ1/JYNN/BAR/2022-23, दिनांक 18.08.2022, 1106/CE-HQ1/JYNN/ JHA/2022-23, दिनांक 18.08.2022, 1107/CE-HQ1/JYNN/BAN/2022-23, दिनांक 18.08.2022, 1108/CE-HQ1/JYNN/MIR/2022-23, दिनांक 18.08.2022, 1172/CE-HQ1/JYNN/AGR/2022-23, दिनांक 20.08.2022, 1173/CE-HQ1/JYNN/BAR/2022-23, दिनांक 20.08.2022, 1174/CE-HQ1/JYNN/GKP/2022-23, दिनांक 20.08.2022, 1175/CE-HQ1/JYNN/KNP/2022-23, दिनांक 20.08.2022, 1176/CE-HQ1/JYNN/MRT/2022-23, दिनांक 20.08.2022, 1177/CE-HQ1/JYNN/MBD/2022-23, दिनांक 20.08.2022,1178/CE-HQ1/ JYNN/ VNS/2022-23, दिनांक 20.08.2022 एवं 1179/CE-HQ1/JYNN/GON/2022-23, दिनांक 20.08.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) चालू कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित सूची में उल्लिखित जनपदों की कुल 30 जिला योजना (नवनिर्माण) चालू परियोजनाओं हेतु सूची की तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित कुल स्वीकृत लागत धनराशि रू0 1089.91 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-10 में उल्लिखित धनराशि रू0 2,70,15,000.00 (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड जनपद / का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत / मूल लागत	दि . 31.3.2022 तक आवंटन	दि . 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नि-.ख.1 प्रतापगढ़	कुशवापुर मधवापुर सम्पर्क मार्ग से चुरई का पुरवा (नई बस्ती छाछामऊ)	30.78	24.62	6.16	0.36	0.00	5.80	5.80
2	प्रा.ख. बरेली	भोपतपुर अड्डा से भोपतपुर ग्राम सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	21.29	17.03	4.26	2.30	0.00	1.96	1.96
3	प्रा .ख. बरेली	लखीमपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	18.8	15.04	3.76	2.17	0.00	1.59	1.59

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	प्रा .ख. बरेली	हरहरपुर चैधरी से रिछौला तारा चन्द सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	26.45	21.16	5.29	0.58	0.00	4.71	4.71
5	प्रा .ख. बरेली	मलिन बस्ती मोहल्ला वंशीनगला में देवानी मठिया में शमशान घाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य ।	20.53	7.98	12.55	4.21	0.00	8.34	8.34
6	प्रा .ख. बरेली	बरेली बदायूँ मार्ग से नवीन (छावनी मार्ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांधरपुर मार्ग (नरेन्द्र साहू की दुकान तक मार्ग	28.71	11.16	17.55	2.84	0.00	14.71	14.71
7	प्रा .ख. बरेली	राजघाट बीजामऊ मार्ग से ग्राम हरदुआ किफायतउल्ला के मजरा गौटिया तक मार्ग का निर्माण कार्य।	37.43	29.94	7.49	4.12	0.00	3.37	3.37
8	नि-.ख.3 झांसी	जरियाकला से कांशीपुरा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	35.7	28.56	7.14	0.20	0.00	6.94	6.94
9	नि-.ख.1 महोबा	झांसी मिर्जापुर मार्ग के किमी 127 से चारूआ सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	14.52	11.62	2.90	1.45	0.00	1.45	1.36
10	नि-.ख.1 महोबा	झांसी मिर्जापुर मार्ग के किमी 128 से द्वासी सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	16.06	12.85	3.21	1.45	0.00	1.76	1.68
11	प्रा.ख. मिर्जापुर	रमईपट्टी महेवा सम्पर्क मार्ग से तुलसी बिन्द के मकान से रामजी लाल श्रीवास्तव के मकान तक सीरोड़ का निर्माण .सी. कार्य।	16.21	6.67	9.54	0.24	0.00	9.30	9.30
12	प्रा .ख. मिर्जापुर	चफला से उसका नहर तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य। शून्य से लेपन का कार्य।	20.96	16.77	4.19	0.45	0.00	3.74	3.74
13	प्रा .ख. मिर्जापुर	सखोरा बिरशाहपुर रोड़ से पण्डितान सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य। शून्य से लेपन का कार्य।	18.63	7.67	10.96	0.25	0.00	10.71	10.71
14	प्रा.ख. आगरा	फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम छः पोखरा से साधन मुबारिकपुर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	52.47	10.00	42.47	11.4	0.00	31.07	31.07
15	प्रा .ख. आगरा	ग्राम पुरा दसू से ग्राम कटरा के मध्य छूटी कड़ी के नवनिर्माण का कार्य।	34.64	27.71	6.93	0.62	0.00	6.31	6.31
16	नि-.ख.1 बरेली	श्री काली चरण पुत्र श्री बद्री प्रसाद के मकान के पास से पश्चिम ग्राम देवता के पास होते हुए पूर्वी ग्राम देवता में श्री रामपाल के मकान तक नव निर्माण कार्य।	28.18	22.54	5.64	2.06	0.00	3.58	3.25
17	नि-.ख.1 बरेली	श्यामपुर से हरदोई पर खण्डंजे स्तर से सीमार्ग के नवनिर्माण का कार्य। .सी.	34.78	27.82	6.96	4.21	0.00	2.75	2.75
18	प्रा.ख. महराजगंज	नक्षाबक्षा से- चन्दनपुर मार्ग का नव निर्माण।	45.8	37.48	8.32	0.50	0.00	7.82	7.70
19	प्रा.ख. कानपुरनगर	शाहपुर से मढ़ेपुर मार्ग की छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	38.85	15.27	23.58	3.52	0.00	20.06	20.06
20	प्रा.ख. मेरठ	ग्राम रहावती खतौली सम्पर्क मार्ग से रहावती तक (खडन्जे से लेपन)	31.26	14.07	17.19	0.30	0.00	16.89	16.50
21	नि-.ख.1 मुरादाबाद	शाहबाद बिलारी मार्ग के किमी-23(मिलकसे राजकीय इन्टर कॉलेज (नगलिया जट सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	53.77	43.02	10.75	1.57	0.00	9.18	9.18
22	नि.ख. जौनपुर	रामपुरकलां में मानाखाई पटेल बस्ती से रामपुर कलां पटेल बस्ती तक सम्पर्क मार्ग।	50.87	40.7	10.17	0.52	0.00	9.65	7.11
23	नि .ख. जौनपुर	चहरपुर की पुलिया से (नहर की पटरी) मईडीह पुलिया तक सम्पर्क मार्ग।	59.81	47.85	11.96	1.53	0.00	10.43	7.44
24	प्रा .ख. चंदौली	सहरोई संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	41.86	26.95	14.91	0.68	0.00	14.23	12.13
25	प्रा .ख. चंदौली	ग्राम छेमिया में गुप्ता जी के घर से काली मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	44.23	35.38	8.85	0.38	0.00	8.47	8.47
26	नि-.ख.1 वाराणसी	सिन्धौराचितौरा- मार्ग से बृजभूषण चैहान के घर तक। (फततेपुर)	35.57	28.46	7.11	4.60	0.00	2.51	2.51
27	प्रा.ख. श्रावस्ती	विकास खण्ड इकौना में राजस्व ग्राम भगवान बनकट का मजरा धनीरामपुरवा को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण	73.02	41.22	31.80	0.11	0.00	31.69	31.69

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

		कार्य।							
28	**नि .ख. बलरामपुर**	बलुआ घाट से धुन्नीजोत होते हुये रेहतीया तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	47.63	38.1	9.53	0.75	0.00	8.78	8.78
29	**प्रा .ख. बलरामपुर**	बड़इया लौकहवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	55.59	44.47	11.12	0.31	0.00	10.81	10.81
30	**प्रा .ख. गोण्डा**	जमुनही प्रधानमंत्री सड़क से भानपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	55.51	44.41	11.10	0.92	0.00	10.18	10.18
		योग	**1089.91**	**756.52**	**333.39**	**54.60**	**0.00**	**278.79**	**270.15**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता तथा स्वीकृत मात्राओं की जिम्मेदारी निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तयरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाये। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

3- मिट्टी का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा तथा मनरेगा अंश की धनराशि राज्य सरकार के खाते से अवमुक्त नहीं की जायेगी।

4- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

5- धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय।

6- आहरण के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

7- आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आबंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है ।

8- परियोजनान्तर्गत विभिन्न् निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें। जिन परियोजनाओं में सम्पूर्ण धनराशि आवंटित की जा चुकी है, उन परियोजनाओं को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ्स सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

9- निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बकन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

10- परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

11- परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध् करायी जाय।

12- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना (नवनिर्माण) चालू कार्य के अन्तर्गत उक्त सूची में उल्लिखित 30 कार्यों हेतु किसी भी स्थिति में उनकी स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि आवंटित न की जाय तथा निर्माण कार्यों को गुणवत्तायुक्त पूर्णकर पूर्णता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,70,15,000.00 (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371318 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों के चालू निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-54/2022/575/004-23-14-2022-48जनरल/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार,लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय,प्रयागराज।

3- मण्डलायुक्त,सम्बन्धित मण्डल।

4- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेन्ट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,सम्बन्धित जनपद के अनुसार।

6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1)लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्ता,सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड,प्रयागराज।

10- वेब अधिकारी,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।